



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु०)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (Hq.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शाहीदजीतसिंहमार्ग
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली-110016 New Delhi - 110016
टेलीफोन 011-26858570 फेक्स FAX: 26514179

वेबसाइट Website: <http://kvsangathan.nic.in>

का-11058/2022/प्र. स्ना. शि. (कला)/चय.वे/केविमं(मु०)/आरपीएस/ 2568-93

दिनांक: 22.08.2023

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कला शिक्षा) को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1/ दिनांक 12-08-1987, 03-11-1987 एवं 06-02-1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ₹ 7500-250-12000 (पे ग्रेड-3 ₹ 15600-39100 के साथ ग्रेड पे ₹ 5400 (6^थ सीपीसी) व लेवल-10 (7^थ सीपीसी) के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कला शिक्षा) के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हो तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हो। यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारणवश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि उनके द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को वापस लौटानी होगी।

संबंधित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कला शिक्षा) का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम-22 (1)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तदनुसार उनके पास विकल्प है - (1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा ले या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतनवृद्धि की तारीख से नियत करवा ले। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प चुनता है तो उसका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनित वेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post)। वेतनवृद्धि का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्ति होने की तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा तथा इस संदर्भ में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कला शिक्षा) द्वारा जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा। संबंधित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कला शिक्षा) के विवरण निम्नानुसार हैं -

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कला शिक्षा)

₹ 7500-250-12000 (पे ग्रेड-3 ₹ 15600-39100 के साथ ग्रेड पे ₹ 5400 (6^थ सीपीसी) व लेवल-10 (7^थ सीपीसी)

S. No.	Sen no. (as on 01.01.2018)	Name of TGT (AE)	KV where working	Date of apptt. in the post of TGT (AE)	Date of drawing senior scale	Date of grant of selection scale
1	102	JAYANTHI K S	PORT TRUST	07.08.1995	07.08.2007	01.01.2022
2	103	UMESH PRASAD	NO. 2 AFS HALWARA	19.08.1995	19.08.2007	01.01.2022

THE DSC FOUND FOLLOWING TGT (AE) "NOT FIT" DUE TO DISCIPLINARY CASE PENDING AS ON 01.01.2022:

S. No.	Sen. no. (as on 01.01.2018)	Name of TGT (AE)	KV where working	Date of apptt. in the post of TGT (AE)	Date of drawing senior scale
1	82	ATUL SRIVASTAVA	BARAMULLA	30.08.1995	30.08.2007

(शशि कांत शर्मा)
सहायक आयुक्त (भ.प.व.)

प्रतिलिपि प्रेषित-

- उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी संभागीय कार्यालय को इस निवेदन के साथ कि वह अपने संभाग के अधीन आने वाले सभी केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षकों को यह आदेश सूचनार्थ एवं समुचित अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करें।
- उपायुक्त (शैक्षिक एवं ईडीपी) के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को के.वि.सं. (मु.) की वेबसाइट पर अपलोड करें।

3. प्राचार्य संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस निर्देश के साथ कि—

- i) चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबंधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाएं तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हो। कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें।
- ii) संबंधित शिक्षक से 3 प्रतियों में प्रपत्र में वचनबंध ले ली जाए, जिसकी एक प्रति उसकी सेवा पुस्तिका, दूसरी प्रति उसकी व्यक्तिगत मिसिल तथा तीसरी प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेपित की जाए।
- iii) इस आदेश को लागू करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला / विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और संबंधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 6 वर्षों में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो
- iv) अन्य विवरण जैसे केन्द्रीय विद्यालय का नाम, पदभार ग्रहण तिथि, वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाए।